रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012023-243192 CG-DL-E-24012023-243192

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369] No. 369 नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2023/माघ 4, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2023/MAGHA 4, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2023

सं. 54/2015-2020

विषय : आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची—I (आयात नीति) में यूरिया |एक्जिम कोड 31021000| की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 383(अ):—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 31 के यूरिया [एक्जिम कोड 31021000] की नीतिगत शर्त में तत्काल प्रभाव से, निम्नानुसार संशोधन करती है:

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	मौज्दा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
31021000	यूरिया, जलीय घोल में हो या नहीं हो	राज्य व्यापार उद्यम	पैरा 2.20 के अध्यधीन आरसीएफ और एनएफएल के माध्यम से आयात अनुमत है। इसके अलावा,	विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 2.20 के अध्यधीन आरसीएफ और एनएफएल के माध्यम से आयात अनुमत है। इसके अलावा, यूरिया का आयात 31. 03.2023 तक की अवधि के लिए

553 GI/2023 (1)

	भौटोगिक जाणीय (प्रचारिक के	आईपीएल के माध्यम से भी अनुमत है। सरकारी खाते में यूरिया के आयात (कृशि प्रयोजन के लिए) की अनुमति या तो नामित एसटीई द्वारा स्वयं या किसी भी इकाई/इकाईयों (उर्वरक विपणन इकाईयों) के माध्यम से दी जाएगी, जो भारतीय पत्तनों पर प्रविश्टि बिल प्रस्तुत करने के लिए समय—समय पर उर्वरक विभाग द्वारा प्राधिकृत की जाती हैं। तथापि, गैर कृषि प्रयोजन/ औद्योगिक उपयोग/एनपीके के विनिर्माण के प्रयोजन हेतु तकनीकी ग्रेड यूरिया (टीजीयू) का आयात "मुक्त" होगा।
--	----------------------------	---

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

उर्वरक विभाग द्वारा प्राधिकृत उर्वरक विपणन इकाईयों (एफएमई) को सरकारी खाते में यूरिया के आयात (कृषि प्रयोजन हेतु) के लिए भारतीय पत्तनों पर प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01 / 89 / 180 / 102 / एएम-02 / पीसी-2(क) पार्ट-II / ई-1715)]

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2023

No. 54/2015-2020

Subject: Amendment in import policy condition of Urea [Exim Code 31021000] in the ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 383(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition of Urea [EXIM code 31021000] of Chapter 31 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy), with immediate effect, as under:

Exim Code	Item Description	Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
31021000		State Trading Enterprise	Import allowed through RCF and NFL subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy, 2015-2020. In addition import of Urea is also allowed through IPL for a period up to 31.3.2023.	1 1

However, import of Technical Grade Urea (TGU) meant for non-agricultural purpose/ industrial use/ NPK Manufacturing shall be "Free".	agriculture purpose) on
	However, import of Technical Grade Urea (TGU) meant for non-agricultural purpose/industrial use/ NPK Manufacturing shall be "Free".

2. <u>Effect of this Notification:</u>

Fertilizer Marketing Entities (FMEs), authorized by the Department of Fertilizers, have been allowed to file Bill of Entries at Indian ports for import of Urea (for agriculture purpose) on Government Account.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/102/AM-02/PC-2(A)Part-II/E-1715)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.